सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022
Phalguna 04, Wednesday , Saka 1943- February 23, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-1/इनपुट) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 29, 2021

संख्या प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/2021 :-कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968का केन्द्रीय अधिनियम 46)की धारा 20 की उपधारा (1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में नियुक्त किये गये कीटनाशी निरीक्षकों एवं उनके अधिकारिता क्षेत्र में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/ दिनांक 05 जनवरी 2015 एवं क्रमांक प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/2013 दिनांक 11 अगस्त 2017 में निम्म्नानुसार संशोधन करती हैः-

क्र.सं.	निरीक्षक पदनाम	अधिकारिता क्षैत्र
1	कृषि अधिकारी (बीज) राजस्थान, जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले
2	कृषि अधिकारी (उर्वरक) राजस्थान,जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ. एस. पी. सिंह,
संयुक्त शासन सचिव, कृषि।

AGRICULTURE (GROUP-1/INPUT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 2021

No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2021 .-In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 20 of the Insecticides Act 1968 (Central Act 46 of 1968), the State Government hereby ammends the Insecticides Inspectors and their jurisdiction in the notification issued by this DepartmentNo. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/ dated 05 January 2015 and No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2013 dated 11 August 2017 as follows:-

S. No.	Designation of the Inspector	JurisdictionArea
1.	Agriculture Officer (Seed) Rajasthan HQ, Jaipur	All revenue districts of Rajasthan
2.	Agriculture Officer (Fertiliser) Rajasthan HQ, Jaipur	All revenue districts of Rajasthan

by order of the Governor,
DR. S.P. SINGH,
JOINT SECRETARY TO GOVT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।